न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 966 / 2024
अनवान : –

1. लिछमण पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. श्योलाल पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. रामेश्वर पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. कलावती पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. सन्तो पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. केसराराम पुत्र स्व0 अनकोरी जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 01/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 471/463 की कुल 13.9990 हैक्ट भूमि पारी पत्नी नन्दराम व वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के नाम एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 473/462 की कलु 3.0360 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के नाम 1/3 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पारी पत्नी नन्दराम तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है पारी पत्नी नन्दराम का स्वर्गवास हो चुका है। पारी पत्नी नन्दराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 जो की वादी की बहिन है एवं प्रतिवादी संख्या 5 जो की वादी का भान्जा है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 काबिज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने उक्त वाद भूमि का बाहमी बंटवारा निम्नानुसार कर रखा है–

1. वादी के पास– रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 471/463 के ख0न0 460/1 की 2.6557 हैक्ट पश्चिमी भाग ... 1.7790 हैक्ट मध्य भाग की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कुल 4.4347 हैक्ट भूमि व रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 473/462 के ख0न0 878/1 की 1.0120 हैक्ट भूमि पश्चिमी पासा की तरफ रहेगी।

2. प्रतिवादी संख्या 1 के पास– रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 471/463 के ख0न0 460/2 की 2.6556 हैक्ट भूमि उतरादा पासा, ख0न0 895/2 की 1.3360 हैक्ट भूमि रास्ता की तरफ दक्षिणी पासा की, ख0न0 923 की 0.4430 हैक्ट भूमि 4.4346 हैक्ट भूमि व रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 473/462 के ख0न0 878/2 की 1.0120 हैक्ट भूमि पूर्वी पासा की रहेगी।
3. प्रतिवादी संख्या 2 के पास– रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 471/463 के ख0न0 460/3 की 2.6557 हैक्ट दिखनादा पासा, ख0न0 895/3 की 1.7790 हैक्ट लिछमण के उतरादा पासा की तरफ कुल 2 खसरो की कुल 4.4357 हैक्ट भूमि व रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 473/462 के ख0न0 878/3 की 1.0120 हैक्ट भूमि मध्य भाग पासा की रहेगी व मृतक पारी पत्नी नन्दराम का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जावे। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पारी दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्ष[illegible] सुनी गई। [illegible] वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादा[illegible] भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पारी पत्नी नन्दराम तथा वादी [illegible] 1 ता 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पारी पत्नी नन्दराम का स्वर्गवास हो चुका है। पारी पत्नी नन्दराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 जो की वादी की बहिन है एवं प्रतिवादी संख्या 5 जो की वादी का भान्जा है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 काबिज है। वादी व प्रतिवादीगण का उपरोक्तनुसार बाहमी राजीनामा हो चुका है वं मुताबिक राजीनामा ही वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 471/463 की कुल 13.9990 हैक्ट भूमि पारी पत्नी नन्दराम व वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के नाम एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 473/462 की कलु 3.0360 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के नाम 1/3 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पारी पत्नी नन्दराम तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है पारी पत्नी नन्दराम का स्वर्गवास हो चुका है। पारी पत्नी नन्दराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 जो की वादी की बहिन है एवं प्रतिवादी संख्या 5 जो की वादी का भान्जा है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 काबिज है। वादी व प्रतिवादीगण का उक्त वाद भूमि बाबत बाहमी राजीनाम हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक पारी के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण के इकबाल के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 471/463 के ख0न0 460/1 की 2.6557 हैक्ट पश्चिमी पासा, ख0न0 895/1 की 1.7790 हैक्ट मध्य भाग की कुल 4.4347 हैक्ट भूमि व रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 473/462 के ख0न0 878/1 की 1.0120 हैक्ट भूमि पश्चिमी पासा की तरफ की भुमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 471/463 के ख0न0 460/2 की 2.6556 हैक्ट भूमि उतरादा पासा, ख0न0 895/2 की 1.3360 हैक्ट भूमि रास्ता की तरफ दक्षिणी पासा की, ख0न0 923 की 0.4430 हैक्ट भूमि कुल 4.4346 हैक्ट भूमि व रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 473/462 के ख0न0 878/2 की 1.0120 हैक्ट भूमि पूर्वी पासा की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 471/463 के ख0न0 460/3 की 2.6557 हैक्ट दिखनादा पासा, ख0न0 895/3 की 1.7790 हैक्ट लिछमण के उतरादा पासा की तरफ कुल 2 खसरो की कुल 4.4357 हैक्ट भूमि व रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 473/462 के ख0न0 878/3 की 1.0120 हैक्ट भूमि मध्य भाग पासा की की भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मृतक पारी पत्नी नन्दराम का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:17 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 966/2024

अनवान : –

1. लिछमण पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. श्योलाल पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. रामेश्वर पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. कलावती पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. सन्तो पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. केसराराम पुत्र स्व0 अनकोरी जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 966 सन 2024 निर्णय दिनांक 01/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जाशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 471/463 के ख0न0 460/1 की 2.6557 हैक्ट पश्चिमी पासा, ख0न0 895/1 की 1.7790 हैक्ट मध्य भाग की कुल 4.4347 हैक्ट भूमि व रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 473/462 के ख0न0 878/1 की 1.0120 हैक्ट भूमि पश्चिमी पासा की तरफ की भुमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 471/463 के ख0न0 460/2 की 2.6556 हैक्ट भूमि उतरादा पासा, ख0न0 895/2 की 1.3360 हैक्ट भूमि रास्ता की तरफ दक्षिणी पासा की, ख0न0 923 की 0.4430 हैक्ट भूमि कुल 4.4346 हैक्ट भूमि व रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 473/462 के ख0न0 878/2 की 1.0120 हैक्ट भूमि पूर्वी पासा की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 471/463 के ख0न0 460/3 की 2.6557 हैक्ट दिखनादा पासा, ख0न0 895/3 की 1.7790 हैक्ट लिछमण के उतरादा पासा की तरफ कुल 2 खसरो की कुल 4.4357 हैक्ट भूमि व रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 473/462 के ख0न0 878/3 की 1.0120 हैक्ट भूमि मध्य भाग पासा की की भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मृतक पारी पत्नी नन्दराम का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:42:17 IST
Reason: SelfAttested